परिशिष्ट–क

उत्तर प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1
संख्या– 1664/64–1–2014
लखनऊ:दिनांक 31 दिसम्बर, 2014

अभिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली,2004 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

"उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लिपिक वर्गीय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली,2014"

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लिपिक वर्गीय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नये नियम का बढ़ाया जाना 2– "उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2004 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 19 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम–19–क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

उक्त "आमेलन द्वारा नियुक्ति 19–क(1) किसी सरकारी विभाग का मौलिक रूप से नियुक्त कोई कर्मचारी, जोः–

(एक) "उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लिपिक वर्गीय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली,2014" के प्रारम्भ के दिनांक को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में, "वरिष्ठ लिपिक" के पद पर प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण पर दस वर्ष से अन्यून अवधि से कार्यरत रहा हो, और

(दो) वह अपने द्वारा धारित पद पर आमेलित किये जाने का इरादा रखता हो, उक्त दिनांक से 90 दिनों के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप से यह सूचित करेगा कि वह इस प्रकार आमेलित किये जाने का इरादा रखता है।

(2) "उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लिपिक वर्गीय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली,2014" के प्रारम्भ के पश्चात कोई भर्ती किये जाने के पूर्व नियुक्ति